

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य एवं पोको विभाग

अधिसूचना


पटना, दिनांक 7/1/06

सं0सं0-2/दी-42/06-2084(2) स्वास्थ्य विभाजन के पश्चात झारखण्ड से विभिन्न होकर आये विकित्सा पदाधिकारियों / विभिन्न कारणों से पदस्थापन की प्रतिक्षारत विकित्सा पदाधिकारियों / विभिन्न घटनाओं के फलस्वरूप प्रशासनिक दृष्टिकोण से विकित्सा पदाधिकारियों को उनके नाम के समुख अंकित जिलों में उनकी सेवाएँ रीती जाती है :-

क्रं0सं0	विकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापित जिला
1	डा० अशोक कुमार सिंह	झारखण्ड	कैमूर
2	डा० समीर कुमार दास	झारखण्ड	मध्यपुरा
3	डा० चन्द्र भूषण प्रसाद	झारखण्ड	गया
4	डा० सतीश चन्द्र	झारखण्ड	गया
5	डा० विनोद कुमार	झारखण्ड	जमुई
6	डा० उपेन्द्र प्रसाद मंडल	झारखण्ड	पूर्णिया
7	डा० रवीन्द्र नाथ पाण्डेय	झारखण्ड	मधुबांधी
8	डा० रविकान्त पाण्डेय	झारखण्ड	भागलपुर
9	डा० ज्ञान शंकर	झारखण्ड	वैशाली
10	डा० रामजयपाल सिंह	झारखण्ड	नालन्दा
11	डा० भौला प्रसाद	झारखण्ड	गया
12	डा० राम देव दास	झारखण्ड	पूर्णिया
13	डा० हरिशरण प्रसाद	झारखण्ड	मधुबांधी
14	डा० आलोक प्रसाद सिन्हा	झारखण्ड	प० बापारण
15	डा० सुशील कुमार आजाद	झारखण्ड	सहरसा
16	डा० शिवजी प्रसाद	झारखण्ड	मधुबांधी
17	डा० रणजीत कुमार जमेयार	झारखण्ड	पूर्णिया
18	डा० अजय कुमार	झारखण्ड (पूर्व अधिसूचित पटना )	गोप्तपुर
19	डा० (श्रीमती) मीरा सिंह	झारखण्ड (पूर्व अधिसूचित औरंगाबाद )	खगड़िया ।
20	डा० सुनीर कुमार सिन्हा	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	वैशाली
21	डा० राजनन्दन प्रसाद	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	मधुबांधी
22	डा० (श्रीमती) नीना कुमारी	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	वैशाली
23	डा० शीघ्रनंद कुमार आस्तिक	मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग	औरंगाबाद
24	डा० सतीश चन्द्र शर्मा	सीतामढ़ी	पटना
25	डा० कामेश्वर प्रसाद	सीतामढ़ी	पटना
26	डा० रामेश्वर प्रसाद	सीतामढ़ी	सारण
27	डा० यदुनन्द प्रसाद सिंह	औरंगाबाद	जहानाबाद
28	डा० शंभु प्रसाद	शिवहर	सीतामढ़ी
29	डा० रमेश प्रताप शाही	समरस्तीपुर	सीतामढ़ी

- जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी हैं उनका पदरथापन उस जिला में प्रमणडलीय आयुक्त की अव्यक्तता वाली समिति करेंगी ।
- अधिसूचना की तिथि से प्रतीक्षारत चिकित्सा पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे ।
- पदरथापन की प्रतीक्षा की अवधि को विनियमन का प्रस्ताव इनके योगदान के तुरत बाद नियंत्री पदाधिकारी नियमानुसार क्षेत्रीय उपनिदेशक/प्रमणडलीय आयुक्त / रघारथ्य विभाग को समेकित रूप से तुरत भेजेंगे, जिसे कि इनके पदरथापन की प्रतीक्षा अवधि को विनियमित करने में विलम्ब नहीं हो ।
- सभी प्रतीक्षारत चिकित्सा पदाधिकारी विरमित होकर संबंधित जिलों के सिविल सर्जन के समक्ष तुरत योगदान देंगे ।
- निम्नन् / न्यायालय के अन्यथा आदेश की रिष्टि में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

विहार राज्यपाल के आदेश से

  
(विपिन कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक - 2/टी-42/06 2084(2)

पटना, दिनांक 7-11-07

प्रतिलिपि - महालेखाकार, विहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना / विल (वैदाठनि०को०) विभाग,  
विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को विहार राजपत्र के असाधारण अंक  
में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, रौची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमणडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक,  
स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा मण्डायिधालय  
अस्पताल / निदेशक, मानसिक आरोग्यशाला, काईलवर, भोजपुर / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - कल्याण विभाग, घिरार, पटना / महानिरीक्षक, अभियोजन, विहार, पटना / रामी  
संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य एवं प०क० के आप सचिव / सचिव, रघारथ्य एवं प०क० के  
सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / संयुक्त सचिव के निजी सहायक / उप सचिव के निजी  
सहायक / विभागीय प्रशासना पदाधिकारी 2,3 एवं 9 / कम्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के उप सचिव